# न्यायालय सहायक कलक्टर बीकानेर शहर

पीठासीन अधिकारी :– बिन्दु खत्री आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्याः–185/2012
आर.सी.एम.एस. नं.:–2012/001

1. बुलाकीराम पुत्र स्व. श्रीराम तंवर निवासी घवाडिया बास तहसील व जिला बीकानेर
2. ओमप्रकाश पुत्र स्व. श्रीराम तंवर निवासी घवाडिया बास तहसील व जिला बीकानेर
3. किशनलाल पुत्र स्व. श्रीराम तंवर निवासी घवाडिया बास तहसील व जिला बीकानेर
4. लक्ष्मीनारायण पुत्र स्व. श्रीराम तंवर निवासी घवाडिया बास तहसील व जिला बीकानेर

––प्रार्थी ––

**–बनाम–**

1. गजराज सिंह पुत्र सायर सिंह राजपूत निवासी सुभाषपुरा तहसील व जिला बीकानेर
2. महावीर सिंह पुत्र भगवान सिंह जाति चारण निवासी इन्द्रा कॉलोनी

––अप्रार्थीगण––

**प्रार्थना पत्र आदेश 39 नियम 2ए जाब्ता दीवानी**

**अभिभाषक उपस्थितिः–**

1. सत्यनारायण तिवाडी प्रार्थीगण की और से।
2. श्री सुमेरदान बीदू अप्रार्थीगण की और से।

**–:निर्णयः–** दिनांकः– 31/3/22

प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 07.11.2011 को न्यायालय वाला अप्रार्थीगण के विरूद्व दोनों पक्षों को सुनकर उक्त आदेश के तहत अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की। उक्त आदेश के तहत अप्रार्थीगण को पाबंद किया गया कि वे प्रार्थी व उसके सहखातेदार की खातेदारी भूमि ग्राम चकगर्बी के खसरा नम्बर 949/159 तादादी 13 बीघा, खसरा नम्बर 909/159 तादादी 20.3 बीघा, खसरा नम्बर 942/159 तादादी 6 बीघा, खसरा नम्बर 1098/159 तादादी 19.3 बीघा, खसरा नम्बर 1099/159 तादादी 6.18 बीघा, खसरा नम्बर 1198/159 तादादी 10.18 बीघा, खसरा नम्बर 1317/159 तादादी 25 बीघा कुल 101.2 बीघा में अप्रार्थीगण ता फैसला दावा दखलंदाजी नही करे। उक्त आदेश तारीख फैसला वाद का होने तक अस्तीत्व में है। अप्रार्थी को अदालत वाला द्वारा जारी अस्थाई निषेधाज्ञा की पूर्ण रूप से जानकारी होते हुवे उक्त अस्थाई निषेधाज्ञा को जान बुझकर ब्रीच करते हुए दिनांक 8.9.2012 को वादगत भूमि पर नाजायज कब्जा करने हेतु अन्य कई लोगो के साथ आये तथा ताकत के बल पर स्टे शुदा भूमि में गैर कानूनी कोशिश की, प्रार्थीगण द्वारा जब उन्हे मना किया गया तो वे लडाई झगडे पर उतारू हो गये। अप्रार्थी का उक्त कृत्य ब्रीच ऑफ इन्जेक्शन की तारीफ में आता है इस कारण अप्रार्थी को दो माह की दीवानी जेल की सजा प्रदान की जाकर दण्डित किया जावे। दिनांक 10.9.2012 को अप्रार्थीगण फिर दुबारा इसी नियत से मुतनाजा भूमि पर आये तथा कहा कि तुम वादगत भूमि का कब्जा हमें शांति पूर्वक प्रदान कर दो वरना हम जबरदस्ती वादगत भूमि में प्रवेश कर लेगे प्रार्थी द्वारा यह कहने पर कि उनके पास न्यायालय वाला द्वारा जारी ता फैसला वाद की अस्थाई निषेधाज्ञा है इसलिए तुम प्रवेश नही कर सकते इस पर अप्रार्थीगण गुस्सा हो गये तथा यह कहते हुए कि मै किसी न्यायालय के आदेश को नही मानता कानून ताकत वालो की जेब में होता है

वादगत भूमि में जबरन प्रवेश करने पर उतारू हो गये जब झगड़ा बढ़ा तो खेत पड़ोसीयों ने समझा बुझाकर उन्हे वापस भेजा। प्रार्थीगण द्वारा इस बाबत दिनांक 11.9.2012 को एक प्रार्थना पत्र भी संबंधित थानाधिकारी को दिया गया। तथा जिसमें निवेदन किया गया कि अप्रार्थीगण न्यायालय बाला के आदेश के रहते जबरन भूमि पर प्रवेश करने को आमादा है, उन्हे रोका जावे नही तो जान व माल के नुकसान की संभावना है। अप्रार्थीगण ने जान बुझकर न्यायालय बाला द्वारा जारी अस्थाई निषेधाज्ञा की अवहेलना कर वादगत भूमि पर कब्जा करने की कोशिश की है। इस कारण अदालत बाला के आदेश की अवमानना हुई है, जो दण्डनीय अपराध की परिधी में आता है। अप्रार्थीगण के उक्त गैर कानूनी कृत्य से प्रार्थी को अपूर्णिय क्षति हुई है। जिसकी पूर्ति हेतु अप्रार्थी की निजी सम्पति को कुर्क किया जाकर उसे निलाम किया जाकर उससे प्राप्त राशि से प्रार्थी को क्षति पूर्ति दिलवाई जावे साथ ही अप्रार्थीगण को 2 माह की दीवानी जेल की सजा प्रदान की जावे। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी को हुई 10000/— रू. की आर्थिक क्षति तथा भविष्य में होने वाली क्षति को पूरा किये जाने हेतु अप्रार्थीगण की निजी सम्पति को कुर्क किया जाकर उसे निलाम करने के बाद उससे प्राप्त राशि से प्रार्थी की क्षति को पुरा करवाया जावे। एवं अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा की अवहेलना करने के कारण उसे 2 माह की दीवानी जैल की सजा प्रदान की जावे।

इसके विपरीत अप्रार्थीगण की और से जवाब प्रार्थना पत्र पेश नही किया गया।

बहस वकिल सुनी गई। वकिल प्रार्थीगण ने बहस करते हुवे निवेदन किया की न्यायालय हाजा में दावा धारा 188 आरटीएक्ट मय प्रार्थना पत्र धारा 212 आरटीएक्ट पेश किया गया था। दिनांक 07.11.2011 को दोनों पक्षों को सुनकर प्रार्थना पत्र 212 का निर्णय प्रार्थीगण के हक में ता फैसला वाद तक किया गया था। अप्रार्थीगण ने उक्त न्यायालय के आदेश की अवहेलना की है। अप्रार्थीगण के खिलाफ प्रार्थीगण को पुलिस कार्यवाही भी करनी पडी। आदेश 39 का प्रार्थना पत्र आदेश की पालना नही होने के कारण पेश किया गया है। आदेश की पालना होनी चाहिए। पक्षकार के वकील को जानकारी होने का मतलब पक्षकार को सूचना मानी जायेगी। वकील अप्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र का जबाब प्रार्थना पत्र पेश नही किया है। प्रार्थी के शपथ पत्र के क्रॉस में अप्रार्थीगण द्वारा कोई शपथ पत्र पेश नही किया गया। इसलिए प्रार्थी का शपथ पत्र स्वीकार किया जावे। प्रार्थना पत्र के समर्थन में वकिल प्रार्थी ने न्यायिक दृष्टांत **RLW 2006 पार्ट 2 पेज संख्या 949, RLW 2012 पार्ट 2 पेज संख्या 956, RJB 1994 पार्ट 1 पेज संख्या 339** पेश कर निवेदन किया की प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

हमने बहस वकील प्रार्थी पर मनन किया एवं उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। रिकार्ड के अवलोकन से विदित होता है कि इस न्यायालय द्वारा दिनांक 07.11.2011 को स्थगन आदेश पारित किया गया है। अप्राथीगण के अभिभाषक श्री सुमेरदान बिठू की उपस्थिति में तथा उनको सुनकर दिनांक 07.11.2011 को वाद के निर्णय तक दखलन्दाजी नही करने के आदेश प्रदान किये थे।

इससे जहिर है कि न्यायालय सहायक कलक्टर बीकानेर शहर के पारित स्थगन आदेश की सूचना अप्रार्थीगण के अभिभाषक को थी। अतः अप्रार्थीगण के अभिभाषक का यह दायित्व बनता था कि वह न्यायालय के आदेश की सूचना अपने पक्षकारों को देते ताकि ये स्थगन आदेश को दृष्टिगत रखते हुए विवादीत भूमि में दखलन्दाजी नही करे। किन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि न्यायालय के आदेश की पालना में कोई अभिरूचि व्यक्त नही की गई। यह हो सकता है कि अप्रार्थीगण के अभिभाषक ने पक्षकारों को इसकी सूचना नही दी हो क्योकि कानूनी प्रावधानों के अनुसार स्थगन आदेश की पक्षकारों के वकिल की सूचना पक्षकारों की सूचना मानी जावेगी। हम यह मानते है कि स्थगन आदेश होते हुवे अप्रार्थीगण के द्वारा मौके पर जाकर दखलन्दाजी करना इस न्यायालय के आदेश की अवमानना करना ही माना जावेगा। अभिभाषकगण

द्वारा समय समय पर हमारा ध्यान इस तथ्य की और आकर्षित किया जाता है कि इस न्यायालय द्वारा पारित आदेशों की पक्षकारों के द्वारा अवहेलना की प्रवृति बढ रही है यदि इस प्रवृति को इसी तरह जारी रखने दिया गया तो पारित आदेशों की अवहेलना की प्रवृति में निरन्तर वृद्धि होती रहेगी। अतः इस प्रवृति को रोका जाना अतिआवश्यक है। वकिल प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत **RLW 2006 पार्ट 2 पेज संख्या 949, RJB 1994 पार्ट 1 पेज संख्या 339, RLW 2012 पार्ट 2 पेज संख्या 956** सहमत है। अप्रार्थीगण द्वारा आदेश 39 नियम 2ए के प्रावधानों के अनुसार इस न्यायालय द्वारा पारित स्थगन आदेश दिनांक 07.11.2011 अवहेलना की गई है।

अतः उपरोक्त वर्णित समस्त तथ्यों एवं कानूनी प्रावधानों एवं न्यायिक दृष्टांतों को दृष्टिगत रखते हुए यह अवमानना प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण को आर्थिक दण्ड के रूप में 1000/– रू. से दण्डित किया जाता है। अप्रार्थीगण उक्त राशि प्रार्थीगण को प्रदान करे। प्रकरण नम्बर से कम किया जाकर। बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 31/3/22 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(बिन्दु खत्री)
आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर
बीकानेर शहर